मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:22.11.2023

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी ₹ 800/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन ,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह , विवेचक-उपनिरीक्षक शाहिद हुसेन , पैरोकार- आरक्षी गणेश कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी सुनील कृष्ण द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी.(महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध) मीरजापुर- रूचि भाटी द्वारा थाना को0शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 373/1999 धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त बद्री प्रसाद यादव पुत्र मिश्रीलाल यादव निवासी सुन्दर घाट के पीछे थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 800/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।